कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल खड़गपुर–तारापुर

पत्रांक :– 1365 (ग्रा.)/तारापुर दिनांकः– 14/08/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव,
बिहार ग्रमीण पथ विकास अभिकरण (ब्राडा), पटना।

विषय :– योजना शीर्ष **NABARD Maintenance** अंतर्गत **PWD Bariyarpur-Kharagpur-Purushottampur Jabayat road to Rishikund path ka nirman kary** पथ में अनुरक्षण कार्य का आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **योजना शीर्ष NABARD Maintenance** अंतर्गत **PWD Bariyarpur-Kharagpur-Purushottampur Jabayat road to Rishikund path ka nirman kary** पथ में अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार रू०–**3.67743** लाख राशि की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त राशि का आवंटन उपलब्ध कराया जाए, ताकि संवेदक को भुगतान किया जा सके।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

14/08/24

कार्यपालक अभियंता

14/08/24

राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत पथों में पंचवर्षीय अनुरक्षण प्रपत्र

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	एकरारनामा के अनुसार प्रावधानित राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख में)	व्यय की राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसा दिनांक सहित (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि सहित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)	अनुरक्षण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक / दिनांक	मूल निर्माण कार्य करने की वास्तविक तिथि	वर्तमान अधियाचित राशि						कुल अधियाचित राशि (लाख में)
			प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)		प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)						प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Kharagpur-Tarapur	PWD Bariyarpur-Kharagpur-Purushottampur Jabayat road to Rishikund path ka nirman kary	1.65450	2.03259	3.86728	4.57067	5.44603	17.57107	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	448.65 Lacs Lt. No. 1069 dt. 28.03.2018	18.71000	Lt. No. 1069 dt. 28.03.2018	18.05.2020	1.64970	2.02773	0.00000	0.00000	0.00000	3.67743	3.67743
																									3.67743

1. कार्य विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2. पथ में MQMU/PQM/IE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नहीं है।
3. अनुमोदित परिमाण विपत्र की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% सीमा के भीतर है साथ ही अनुमोदित परिमाण के मदों की मात्रा का विस्तार छ
4. अनुलग्नक – प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र, अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।

14/08/24
Divisional Accounts Officer
RWD Works Div-Kharagpur, Tarapur

14/07/24
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल खड़गपुर–तारापुर
14/08/24

EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION,
Munger
FROM GFR 19 - A

(See Government of India's Decision (1) below Rule - 150)
Form of Utilisation Certificate upto the month of August-2024

of the Head :- NABARD Maint. Fund **Month:- June 2024**

. No.	Name of Bridge	Sanctioned No./ Date	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	2	4	5	6
1	**PWD Bariyarpur-Kharagpur-Purushottampur Jabayat road to Rishikund path ka nirman kary**	**448.65 Lacs Lt. No. 1069 dt. 28.03.2018**	0.00000	Certified that out of Rs. 0.00 Lacs received during the year ------------- in favour of Executive Engineer R.W.D. Works Division, Kharagpur-Tarapur, Bihar a sum of Rs 0.0000 Lacs has been utilized for the purpose of NABARD Maint. Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 0.00000 Lacs remaining un-utilized at the end of the period under.
	Total -		**0.00000**	

2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for witch it was Sanctioned.

Kind of Checks Exercised :-

i. Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
ii.Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
iii. Construction materials have been tested.
iv. Measurements have been recorded in the MBs and test checks conducted by the Assistant Engineer/ Executive Engineer.
v. All other codal formatities have been observed.

3 **Physical Progress achieved :-**
i. Construction of Road Works.
ii. Construction of CD. Works.

Divisional Account Officer
RWD Works Division Kharagpur - Tarapur

1/7/24
Executive Engineer
RWD Works Division, Kharagpur-Tarapur

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–मु0 स0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–06/2018 1069 /पटना, दिनांक– 22/03/18

प्रेषक,

संजय कुमार,
अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय: योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर के क्षेत्राधीन खड़गपुर प्रखंड के अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 बरियारपुर–खड़गपुर–पुरुषोतमपुर जबायत रोड से ऋषिकुण्ड पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 4.40 कि0मी0 निर्माण हेतु रू0 429.94 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 18.71 लाख अर्थात कुल 448.65 लाख रूपये (चार करोड़ अड़ालीस लाख पैसठ हजार रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश निर्गत महालेखाकार द्वारा
आधिकारिक रूप से प्रमाणित

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के मुंगेर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर के क्षेत्राधीन खड़गपुर प्रखंड के अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 बरियारपुर–खड़गपुर–पुरुषोतमपुर जबायत रोड से ऋषिकुण्ड पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 4.40 कि0मी0 निर्माण हेतु रू0 429.94 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 18.71 लाख अर्थात कुल 448.65 लाख रूपये (चार करोड़ उन्तीस लाख चौरान्बे हजार रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37–4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमो पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 454.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से क्रमशः अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता–2, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है;

8. इस योजना का चयन मा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या- मु० अ०-4 (मु०)-नाबार्ड-03-06/2018 के पृ०सं०-02/टि० पर दिनांक 25.01.2018 को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-4 (मु०) नाबार्ड-03-06/2018 के पृ० सं०-05/टि० पर दिनांक-06.03.2018 को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/04-301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं० 96 दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-4 (मु०) नाबार्ड-03-06/2018 के पृष्ठ संख्या- /टि० पर दिनांक- को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल खड़गपुर-तारापुर से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RJDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन
26
(संजय कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक मु० अ०-4 (मु०)-नाबार्ड-03-06/2018 1069 /पटना, दिनांक-28/03/18

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.
अपर सचिव

ज्ञापांक मु० अ०-4 (मु०)-नाबार्ड-03-06/2018 1069 /पटना, दिनांक-28/03/18

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर, BRRDA,/मुख्य अभियंता-2, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-4 (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या काम्पलेक्स, पाँचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26
अपर सचिव